भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली

सं. 203/ऑबसर्व/ईसीआई/प्रकार्या/प्रशा./एस एण्ड पी/2016 दिनांकः 02.12. 2016

निविदा सूचना

विषयः- ऑफिस बैग की खरीद।

भारत निर्वाचन आयोग, अशोक रोड, निर्वाचन सदन, नई दिल्ली को ऑफिस बैग(स्वीकृत नमूने के अनुसार) की आपूर्ति के लिए प्रामाणिक, प्रतिष्ठित, अनुभवी तथा पात्र फर्मों, जिन्होंने सरकार के मंत्रालयों/विभागों, अर्धसरकारी संगठनों में इसी प्रकार का कार्य किया है और इस निविदा दस्तावेज में अन्य सभी नियमों एवं शर्तों को पूरा करती हैं, से मुहरबंद कुटेशन आमंत्रित की जाती है।

सभी दरें निविदा नोटिस के साथ संलग्न विहित फार्मेट(अर्थात् अनुबंध ' क', वाणिज्यिक बोली) में सही तरह से उद्घृत की जाएंगी।

1. **<u>निविदाकारों के लिए आवश्यक अनुदेश</u>**

(i) निविदा दो बोली प्रणाली, अर्थात् तकनीकी बोली तथा वाणिज्यिक बोली के अंतर्गत आमंत्रित की गई है। इच्छुक एजेंसियों को सलाह दी जाती है कि वे दो पृथक सीलबंद लिफाफे प्रस्तुत करें जिनके ऊपर " भारत निर्वाचन आयोग को ऑफिस बैगों की आपूर्ति के लिए तकनीकी बोली" तथा "भारत निर्वाचन आयोग को ऑफिस बैगों की आपूर्ति के लिए वाणिज्यिक बोली" लिखा जाना चाहिए। दोनों सीलबंद लिफाफों को एक तीसरे लिफाफे में रखा जाना चाहिए जिसके ऊपर "भारत निर्वाचन आयोग को ऑफिस बैगों की आपूर्ति के लिए निविदा बोली" लिखा जाना चाहिए।

(ii) इच्छुक डीलर/फर्म अन्य अपेक्षित दस्तावेजों के साथ सभी दृष्टिकोण से पूर्ण निविदा दस्तावेजों को अवर सचिव(सामान्य प्रशासन), भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 को 19.12.2016 को अपराह्न 3.00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। सीलबंद निविदाएं निर्वाचन भवन के भू-तल पर अवस्थित प्राप्ति एवं प्रेषण(आर एण्ड आई) अनुभाग में भी प्रस्तुत की जा सकती हैं। भारत निर्वाचन आयोग डाक में हुए किसी नुकसान/विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(iii) इच्छुक पार्टियों से अनुरोध है कि वे स्वीकृत नमूने की जांच करने के लिए किसी भी कार्य दिवस को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे के बीच भारत निर्वाचन आयोग आ सकती हैं।

(iv) सशर्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा और इन्हें पहली नजर में ही तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा।

(v) निविदा दस्तावेजों के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर होने चाहिए तथा उपयुक्त रूप से संख्या अंकित होनी चाहिए एवं अग्रेषण पत्र पर पृष्ठों की कुल संख्या अवश्य अंकित होने चाहए। अग्रेषण पत्र फर्म का आधिकारिक पत्र शीर्ष होना चाहिए।

(vi) तकनीकी बोलियों को आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त समिति द्वारा संविदाकार के प्रतिनिधियों, यदि कोई हैं, जो उस समय मौके पर उपस्थित रहना चाहते हैं की उपस्थिति में, कमरा सं.303, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली में निर्धारित तारीख एवं समय अर्थात् 19.12.2016 को अपराह्न 4.00 बजे खोला जाएगा।

(vii) केवल उन निविदाओं की वाणिज्यिक बोली खोली जाएगी जिनकी तकनीकी बोलियां सही पाई जाएंगी। वाणिज्यिक बोलियों के लिए तारीख की सूचना पृथक रूप से दी जाएगी। आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ

नियुक्त समिति उन निविदाकारों, जो वाणिज्यिक बोलियों में खोले जाने के समय उपस्थित रहना चाहते हैं, की उपस्थिति में इन्हें खोलेगी।

(viii) परिवहन शुल्क आदि सहित उद्धृत दरें पूर्ण रूपये में अवश्य होनी चाहिए। यह विशेष रूप से ध्यान दिया जाए कि ऐसे कुटेशन तत्काल अस्वीकृत कर दिए जाएंगे जिनमें केवल सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया को बिगाड़ने मात्र के लिए और संविदा हथियाने के लिए अवास्तविक, अव्यवहारिक और महत्वहीन अर्थात् "मुफ्त या मानार्थ" कीमत निर्धारण किया गया हो।

(ix) सम्पूर्ण आपूर्ति को क्रय आदेश की प्राप्ति के 4 दिन के भीतर सभी प्रकार से पूरा किया जाना चाहिए। यदि फर्म अनुमोदित नमूने एवं दर के अनुसार विहित समय के भीतर कार्य को पूरा करने में विफल रहती है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा अधिरोपित अर्थदण्ड की भागी होगी। यदि कार्यनिष्पादन में किसी अपरिहार्य अवरोधों के आधार पर या किसी अन्य कारण से कार्य पूरा करने के समय को बढ़ाया जाना अपेक्षित है, तो फर्म ऐसी परिस्थितियों/आकस्मिकताओं, जिनके कारण समय को इस प्रकार बढ़ाया जाना आवश्यक है, का पूरा विवरण देते हुए प्रभारी अधिकारी को लिखित में आवेदन करेगी।

(x) भारत निर्वाचन आयोग को, कोई भी कारण बताए बिना किसी या सभी निविदाओं को, अंशतः या पूर्णतः स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा। यदि निविदा, निविदाकार के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो निविदा निविदाकार के विधिक मुख्तारनामे के अधीन प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और इसे प्रस्तुत किया जाएगा।

(xi) निविदा की लागत शून्य है। निविदा दस्तावेज हस्तान्तरणीय नहीं है।

(xii) अधोहस्ताक्षरी निविदा स्वीकार करने वाले अधिकारी होंगे तथा यहां इससे आगे इस प्रयोजनार्थ इसी रूप में सन्दर्भित होंगे।

2. **पात्रता शर्तेः-**

फर्म तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगी और ऐसा न होने पर बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगाः

(i) सेल्स टैक्स संख्या/टिन संख्या का प्रमाण(नवीनतम चालानों की प्रति संलग्न करनी चाहिए)

(ii) पैन कार्ड संख्या की प्रति

(iii) पिछले तीन वर्षों की आयकर विवरणी की प्रति(2013-14,2014-15,2015-16)

(iv) सरकारी मंत्रालयों/अर्ध-सराकीर विभागों में समान मदों की आपूर्ति की संतोषजनक रिपोर्ट का प्रमाण जिसका मूल्य 5 लाख रू. से कम न हो(संतोषजनक/पूरा करने की रिपोर्ट के साथ कार्य आदेश) संलग्न किए जाने चाहिए।

(v) रू.10,000/-(दस हजार रूपए मात्र) की धरोहर जमाराशि(ईएमडी) वेतन एवं लेखा अधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करवानी है।

(vi) एक शपथ पत्र कि फर्म किसी संगठन/सरकारी विभाग से ब्लैक लिस्ट/निषेध नहीं की गई है।

3. **<u>अन्य नियम एवं शर्तें</u>**

(i) संविदा को अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद सभी असफल निविदाकारों को धरोहर राशि, बिना किसी ब्याज, के वापिस कर दी जाएगी। सफल बोलीदाता की धरोहर राशि, बिना किसी ब्याज के केवल प्रभारी की संतुष्टि होने पर कार्य आदेश के पूर्ण होने के बाद वापिस कर दी जाएगी।

(ii) परिवहन प्रभार तथा अन्य किसी भी प्रकार के प्रभार पूर्णतयाः उस फर्म के द्वारा वहन किए जाएंगे जिसको संविदा दी जाएगी।

(iii) यदि फर्म का कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो विभाग बिना कारण बताए किसी भी समय संविदा को रद्द कर सकता है। इस संबंध में, विभाग का निर्णय अंतिम एवं फर्म पर बाध्यकारी होगा।

(iv) निविदा प्रक्रिया के परिणाम के बारे में असफल निविदाकारों को सूचित करना, विभाग का दायित्व नहीं है।

(v) विभाग यदि यह उपयुक्त समझता है तो जनहित में कोई अन्य शर्तें लागू कर सकता है।

(vi) सभी संविदाकार अपनी कुटेशन प्रस्तुत करने से पहले पूर्ववर्ती पैराग्राफों में यथावर्णित संविदा के नियमों एवं शर्तों को पढ़ ले और समझ लें क्योंकि एक बार कुटेशन स्वीकार करने के बाद उक्त नियमों एवं शर्तों में बदलाव या उल्लंघन की इस विभाग द्वारा अनुमति नहीं दी जाएगी।

ह./-

(ए.एन.दास)
सचिव

अनुलग्नक 'क'

वाणिज्यिक बोली

क्रम सं.	मद का विवरण	मात्रा	दरें(प्रति बैग(रू.में) करों को छोड़कर	कुल राशि
1.	अनुमोदित नमूने के अनुसार कार्यालय बैग	1000(लगभग)		
2.	यथाप्रयोज्य कर			
3.	कुल योग			